ARYAVART SHODH VIKASH PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO. 290-292
ISSN NO.-2347-2944
Vol.-7, No.-I, Issues-VIII YEAR- June-2017

# घरेलू हिंसाः समस्या एवं समाधान

**डॉ0 पारुल मिश्रा**

**प्रवक्ता, शिक्षा शास्त्र विभाग, एन0ए0के0पी0पी0जी0 कॉलेज फर्रुखाबाद (उ0प्र0) भारत**

***महिलाएं किसी भी देश की के मानव संसाधन का लगभग 50 प्रतिषत हिस्सा होती है तथा वह अत्यंत कर्मठ, लगनशील एवं कुशल मानव संसाधन है, जो कि अपनी पूर्ण शक्ति से कार्य को परिणाम तक ले जाती है, चाहे वह किसी भी भूमिका में हो घरेलू महिला या कामकाजी महिला।***

***घरेलू महिला के रूप में वे पूर्णतः समर्पित होती है। कहा जाता है कि गृहणी के रूप में काम के समय महिलायें तीन वर्गों को अपनी सेवायें देती है।***

सेवायें–वरिष्ठ नागरिक – आर्थिक गति विधियों में भूतपूर्व योगदानदाता।

घरेलू महिलायें––सेवायें–युवा वर्ग – वर्तमान योगदानदाता।

सेवायें–बच्चे – भावी योगदानदाता।

**घरेलू महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में अप्रत्यक्ष तथा सामाजिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष भूमिका–** घरेलू महिलाओं के योगदान को अधिकतर समाजों में कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता और उनकी स्थिति अकसर अपने ही घर की चारदीवारी में दयनीय होती है। महिलाओं के त्याग एवं काम को उनका दायित्व बताकर उन्हें दबाकर रखना ही पुरुष प्रधान समाज की संस्ति बनी चली आ रही है। महिलाओं के घरेलू काम को जी.डी.पी. में योगदान के रूप में स्वीकारणीय बनाने की पक्षघर न्यूजीलैण्ड की राजनेता, लेखिका तथा अर्थशास्त्र मर्लिम वैरिंग का कहना है कि महिला के गर्भधारण तक को एक उत्पादक गतिविधि नहीं माना जाता है जबकि वह भविष्य में मानव संसाधन को जन्म देतीं है। इतना ही नहीं उनका कहना है कि ''न्यूजीलैण्ड के नेशनल एकाउटस जहां से जी.डी.पी. के आंकड़े मिलते हैं, मैं गाय, बकरी, भेड़ और भैंस के दूध की कीमत है लेकिन माँ के दूध की कोई कीमत नहीं है जबकि वह दुनिया का सबसे अच्छा खाद्य पदार्थ है ये बच्चों बच्चे की सेहत और शिक्षा में सबसे अच्छा निवेश है लेकिन इसे गिना नहीं जाता है।''

इस प्रकार समाज का अभिन्न अंग होते हुए भी महिलाओं को परिवार में पत्नी, साथी, आयोजक, प्रशासक, निदेशक पुनर्रचनाकर्ता, संवितरणकर्ता, अर्थशास्त्री, अनुशासक, शिक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी व कलाकार की भूमिका निभाने के बाद भी अक्सर किसी न किसी रूप में घरेलू प्रताड़ना का सामना करना ही पड़ता है। प्राचीन समय से ही कई अंधविश्वास और पक्षपातपूर्ण रीति रिवाजों जैसे– 'सती प्रथा' 'बाल विवाह' तथा 'परदा प्रथा' की आड़ में उनके साथ अमानवीय तथा अत्याचार पूर्ण पक्षपात से भरा व्यवहार होता रहा है, पर महिलाओं ने शिक्षा के दम पर अपनी स्थिति में परिवर्तन का निरंतर प्रयास किया और घर से बाहर कदम रख पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर विभिन्न क्षेत्रों में जैसे– राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, सेना, आदि में अपनी सहभागिता दर्ज की। सरकार की तरफ से भी कई प्रयास किए जा रहे हैं नारी सशक्तिकरण की दिशा में। पुराने अमानवीय रीति–रिवाजों पर भी रोक लगाई गई है, तथा लाभदायी रीति रिवाज ही अभ्यास में है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न योजनाओं द्वारा तथा संविधान की विभिन्न अनुसूचियों के द्वारा महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता तथा सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। परन्तु फिर भी महिलायें अत्याचार सहती ही आ रही है उनमें सबसे अधिक है– हिंसा।

महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में वृद्धि होती जा रही है। राष्ट्रीय अपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार महिलायें अपने ससुराल में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। नववधू की हत्या, कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा महिलाओं पर होती बड़ी हिंसा का उदाहरण है।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान ने 2006 में महिलाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष (न्छथ्म्ड) की वेबसाइट पर पोस्ट किया– ''महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा महामारी के अनुपात की समस्या हैं दुनिया भर में हर 3 महिलाओं में कम से कम एक को पीटा गया है, यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया है, या अन्यथा उसके जीवनकाल में दुर्व्यवहार करने वाले के साथ दुर्व्यवहार किया गया है जो आमतौर पर उसके किसी परिचित व्यक्ति के साथ होता है।''

संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार– ''महिलाओं के खिलाफ हिंसा महत्वपूर्ण सामाजिक तंत्रों में से एक है जिसके द्वारा महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में मजबूर किया जाता है पुरुषों की तुलना में।''

जब से महिलाओं ने घर से बाहर कदम रखा है उनके साथ पक्षपात का दायरा बढ़ गया है पुरुष प्रधान समाज में वह कार्यक्षेत्र, बाजार, रास्तों तथा अन्य पब्लिक स्थानों पर भी हिंसा व शोषण का सामना अक्सर ही करती रहती हैं हिंसा

**अनुरूपी लेखक**



ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-7, No.-I, Issues-VIII YEAR- June-2017

का तात्पर्य यहॉ हाथ या शस्त्र के प्रयोग से नहीं है हिंसा के कई .श्य एवं अ.श्य माध्यम भी है। दुख तो तब होता है जब महिलायों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उनका अपना घर तथा सबसे सुरक्षित व्यक्तियों अर्थात अपने निकटतम परिजनों एवं निकट संबंधियों के द्वारा प्रताड़ित की जाती है। इसे ही कहते हैं–घरेलू हिंसा।

घरेलू हिंसा को अलग–अलग तरह से परिभाषित किया गया है। पुलिस विभाग जो कि आए दिन इस तरह की घटनाओं से रूबरू होते हैं के अनुसार– ''महिला वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी तरह की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहेज प्रताड़ना तथा अकारण मारपीट प्रमुख है।'' राज्य महिला आयोग के अनुसार–''परिवार में महिला या उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी देना तथा उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते है। इसके अलावा लैंगिक हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपराध की श्रेणी में आते हैं।

घरेलू हिंसा के प्रकार– घरेलू हिंसा को कई प्रकार है जैसे– शारीरिक, मनौविज्ञान व लैंगिक, हिंसा वैज्ञानिक साहित्य में संवेगिक हिंसा को और जोड़ दिया गया है। परिभाषित हम कितना भी कर लें, लेकिन अक्सर यह एक नई तरह की घरेलू हिंसा और क्रूरता के साथ सामने आती है। घरेलू हिंसा के कुछ मुख्य प्रकार इस प्रकार हैं–

**1. शारीरिक हिंसाः–** शारीरिक हिंसा शारीरिक चोट से संबंधित होती हैं। किसी महिला को शारीरिक रूप से पीड़ित करना जैसे मारपीट करना, ठोकर मारना, लात–घुसा मारना, किसी वस्तु से प्रहार करना, धकेलना या किसी भी अन्य तरीके से शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना शारीरिक हिंसा कहलाता है।

शारीरिक हिंसा गंभीर हिंसा की श्रेणी में आती हैं इससे कभी–कभी गंभीर चोट लग जाने के कारण मृत्यु तक हो सकती है।

**2. मनोवैज्ञानिक हिंसा–** यह शारीरिक हिंसा की तरह .श्य नहीं होती परंतु कम हानिकारक नहीं होती है। ताने मारना, दहेज की मांग करना, मौखिक तौर पर अपशब्द परित्याग, अस्वी.ति, धमकी ब्लैकमेल, हेराफेरी, अलगाव रूपरंग को लेकर कटांक्ष आदि मनोवैज्ञानिक हिंसा माने जाते है। इससे आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास में कमी आ जाती है कभी–कभी तो महिलाएं अवसादपूर्ण व्यवहार के कारण आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाती हैं।

**3. यौन हिंसा–** जब किसी महिला को एक व्यक्ति अपनी इच्छा से यौन सम्पर्क या संबंध के किसी प्रकार के खिलाफ हो और उसे उसके लिए बाध्य किया जाए तो वह यौन हिंसा की श्रेणी में आता है। यह दुर्व्यवहार, बलात्कार, या अनाचार के माध्यम से प्रकट होता है। यह हिंसा उपर्युक्त दोनों ही प्रकार की हिंसा से गंभीर है क्योंकि इससे शारीरिक एवं भावनात्मक दोनों ही प्रकार ही हिंसा से पीड़िता को गुजरना पड़ता है। बाहरी एवं निकट संबंधी द्वारा किया गया ऐसा व्यवहार पीड़िता के मानसिक पटल पर हमेशा–हमेशा के लिए एक भय, घृणा व अविश्वास का भाव छोड़ जाता है।

**4. आर्थिक हिंसा–** यह हिंसा तो न जाने कब से महिलायें झेलती आ रहीं हैं पहले तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति न मिलना फिर उन्हें आर्थिक निर्णयों में शामिल न करना। घर खर्च के लिए कम कर पैसा देना और एक–एक पाई का हिसाब लेना तथा इस संबंध में कटांक्ष करना इत्यादि आर्थिक हिंसा का ही प्रकार है।

**5. वैवाहिक बलात्कार–** महिलाओं का अपने पति के द्वारा ही बलात्कार अत्यंत दर्दनाक हिंसात्मक गतिविधि है जिसके कारण वह असुरक्षा, अकेलापन भय व न जाने कितनी नकारात्मक मानसिक स्थितियों से गुजरती है। आई.पी.सी. की धारा 375 के अनुसार मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है जबकि लगभग 30 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पति की शारीरिक या यौन हिंसा झेली है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 45 प्रतिशत शादीशुदा महिलाओं के शरीर पर किसी न किसी तरह के जख्मों के निशान हैं। 17 प्रतिशत महिलायें गहरे घाव, हड्डियां व दांत तोड़ने जैसी ज्यादतियों को भी बर्दाश्त कर चुकी हैं।

ऐसे आंकड़ों के बावजूद भी भारत में मैरिटल रेप को अपराध न मानना चिंताजनक है।

प्रश्न यह उठना स्वाभाविक है कि आखिर क्यों इतना शिक्षित होने के बावजूद अच्छे–अच्छे पदों पर आसीन होने पर भी महिलाएं अपने साथ हिंसात्मक व्यवहार सहती रहती हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण है जैसे वैवाहिक बलात्कार, जबरन विवाह आदि को कई स्थानों पर हिंसा नहीं माना जाना। दूसरा कानून होने पर भी कानून से अनभिज्ञ होना व जागरूकता की कमी बहुत से कानूनों में परिवर्तन/सुधार की आवश्यकता जिससे अपराधी बचकर न निकल पाए। अगर कानून है और महिला जागरूक भी है तो भी कोर्ट केस करना तथा कोर्ट में अपने साथ हुए अत्याचारों पर प्रश्नों का जवाब देना कम चुनौतीपूर्ण एवं अपमानजनक नहीं होता तथा इससे बचने के लिए वे कानून का सहारा लेने से हिचकिचाती रहती हैं और इस सामाजिक बुराई को प्रतिबंधित नहीं कर पाती है।

घरेलू हिंसा का समाधान अतिआवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकार का हक है परंतु अपने जीवन में सामान्य या खतरनाक किसी भी प्रकार की हिंसा का सामना करने वाली महिला को की सोच में नकारात्मकता आ जाती हैं कई बार

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14

ISSN NO.-2347-2944
Vol.-7, No.-I, Issues-VIII YEAR- June-2017

तो वह उस मानसिक आघात से बाहर ही नहीं निकलपाती, तो कभी–कभी वर्षों लग जाते है। दुखद तो जब होता है जब वह अत्याचार व अमानवीय .त अपने अत्यंत भरोसे वाले व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है और जीवन भर अवसाद जैसी स्थिति से गुजरती है।

महिलाओं के साथ हिंसा जिनकी दर किसी न किसी रूप में बढ़ रही है उसी दर एवं प्रतिबद्धता से इसे रोकने के एकीकृत प्रयास करने होंगे।

राज्य तथा राष्ट्र स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे। इसमें महिला न्यायाधीशों एवं वकीलों द्वारा महिला अधिकारों एवं कानूनों का ज्ञान विभिन्न संगोष्ठियों के माध्यम से घरेलू एवं कामकाजी दोनों ही महिलाओं को देना चाहिए।

महिलाओं के लिए पुलिस सहयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु महिला पुलिस अधिकारियों की विशेष नियुक्ति पीड़ित महिलाओं को अपनी बात कहने की हिम्मत प्रदान करेंगी।

पीड़ित महिलायों के लिए आश्रय केंद्रों की सुरक्षित व्यवस्था भी आवश्यक है यह सुविधा सिर्फ कुछ नगरों तक न सीमित रखी जाए छोटे शहरों की महिलाओं तक इन केंद्रों की जांच होनी चाहिए।

प्रयास तो किए ही जाएंगे पर सबसे आवश्यक है बेटियों को सहने की शिक्षा देने के स्थान पर अधिकारों के लिए आवाज उठाना सिखाना होगा। नारी को नारी का सम्मान करना तथा पुरुषों में महिलाओं को बराबर का दर्जा देने की सोच विकसित करनी होगी, तभी बेटियां घर से बाहर सुरक्षित महसूस कर अपनी प्रतिभाओं को विकसित कर सकेंगी।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. महिलाओं और घरेलू हिंसा के खिलाफ हिंसा को रोकने और मुकाबला करने पर यूपोप कन्वेंशन की परिषद। https://www.coe.int
2. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 https://indiankanoor.org.doc
3. ममता (2010) "घरेलू हिंसाः अधिकारों के प्रति महिलाओं की जागरूकता", रीगल पब्लिकेशन।
4. भावना वर्मा (2010), "घरेलू हिंसाः समस्या और समाधान, अमाना प्रकाशन।

*****

ASVS Society Reg. No. 561/2013-14